87

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2576–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 146/2013–14/अपील.

1. राजकुमार
2. देवेन्द्र
3. जितेन्द्र
4. राजकुमारी

समस्त पुत्रगण एवं पुत्री हाकिमसिंह जाटव
निवासीगण ग्राम सहराना तहसील जौरा
जिला मुरैना म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

नवलसिंह पुत्र रामरतनसिंह गुर्जर
निवासी ग्राम सहराना तहसील जौरा
जिला मुरैना म0प्र0

———अनावेदक

– – – – – –

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 9 फरवरी 2017)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 146/2013–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 14–7–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील जौरा के ग्राम सहराना में स्थिति प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 608 रकवा 0.83 है0 सर्वे कमांक 610 रकवा 0.14 है0 एवं सर्वे कमांक 620 रकवा 0.49 है कुल किता 03 रकवा 1.46 है0 के अभिलिखित भूमिस्वामी हाकिमसिंह पुत्र गुनघीलाल जाति जाटव था, जिसकी मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम पंचायत सहराना द्वारा वारिसान के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर निकरानीकर्तागण के हक में नामांतरण पंजी कमांक 03 दिनांक 01–01–2013 में ठहराव कमांक 12 दिनांक 26–1–2013 से नामांतरण प्रमाणित किया गया। अनावेदक द्वारा ग्राम पंचायत सहराना द्वारा प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 26–1–2013 से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। अपील पेश करने में हुये विलंब को माफ किये जाने बावत अवधि विधिान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा प्रकरा कमांक 20/2012–13/अपील माल पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अदेश दिनांक 27–5–2014 से अपील को अवधिबाह्य मानकर निरस्त कर दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2014 से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 146/2013–14/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 14–7–2016 से ग्राम पंचायत सहराना द्वारा नामान्तरण प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 27–5–2014 से ग्राम पंचायत सहंराना द्वारा नामांतरण प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 26–1–2013 एवं अनुविभागीयय अधिकारी जौरा द्वारा पारित आदेशदिनांक 27–5–2014 निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों पर मृतक हाकिमसिंह के बजाय बसीयत ग्रहीता अनावेदक के हक में नामांतरण स्वीकार किया गया। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–2016 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किये गये तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गये।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किया कि प्रश्नाधीन भूमियों के अभिलिखित भूमिस्वामी उनके पिता हाकिमसिंह थे। हाकिमसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद ग्राम पंचायत सहराना द्वारा वारिसान के आधार पर आवेदकगणों के हक में नामांतरण प्रमाणित किया गया। अनावेदक द्वारा ग्राम पंचायत सहराना द्वारा नामांतरण के विरूद्ध अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरसत कर दी गयी। अपर आयुक्त द्वारा वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक के हक में प्रश्नाधीन भूमियों पर नामांतरण स्वीकर कर दिया गया। जबकि वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने से पहले वसीयतनामा को साक्ष्य से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक होता है। इस बिन्दु पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार ही नहीं किया गया। वसीयतनामा को बिना प्रमाणित कराये ही नामांतरण स्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जावे तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा जावे।

5/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये कि मृतक अभिलिखत भूमिस्वामी हाकिमसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही अनावेदक के हक में रजिस्टर्ड वसीयतनामा सम्पादित किया गया था। मृतक हाकिसिंह के पुत्रों द्वारा हाकिमसिंह अनावेदक के पास आकर रहने लगा था और अनावेदक द्वारा ही उसकी देखभाल तथा सेवा जीवन पर्यन्त तक करता रहा। सेवा भाव से ही खुश होकर अनावेदक के पक्ष में वसीयतनामा सम्पादित किया गया था। इस कारण अनावेदक हितबद्ध पक्षकार था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो अनावेदक को कोई सूचना दी गयी न साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान के आधार पर नामांतरण किये जाने से पहले विधिवत इश्तहार का भी प्रकाशन नहीं कराया गया। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा बालाबाला अनावेदक को अदम जानकारी में ही नामांतरण स्वीकार कर दिया गया था। अनावेदक को जब नामांतरण आदेश की जानकार हुई उसी समय अनावेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी विलंब के संबंध में धारा

5 के अन्तर्गत कारण सहित आवेदन पत्र भी पेश किया गया किन्तु उस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार किये बिना ही प्रकरण का गुणदोष पर आदेश पारित न करते हुये केवल तकनीकी बिन्दु के आधार पर ही अपील को अवधि के बिन्दु पर ही खारिज कर दी गयी। अनावेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक द्वारा यथासमय ही वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाव़त आवेदन पत्र पटवारी मौजा को पेश कर दिया गया था, किन्तु पटवारी मौजा द्वारा उक्त आवेदन पत्र को छिपाते हुये गोपनीय तौर पर आवेदकगणें के हक में ग्राम पंचायत से मिलकर नामातरण करा दिया गया। ये सार तथ्यों को अनुविभागीयअ धिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन पर विचार ही नहीं किया गया। अपर आयुक्त द्वारा इन सारे तथ्यों पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही आदेश पारित किया गया है, जो विधिसंगत आदेश है, यथावत रखा जावे तथा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6/ प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलतन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना की गयी है। पुनः उन्हीं बिन्दुओं को दोहराया जाना आवश्यक नहीं समझता हूॅ। आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में यह मुद्दा उठाया है कि अनावेदक अन्य जाति का व्यक्ति है तथा वसीयतकर्ता हरिजन जाति का व्यक्ति है। फर्जी वसीयतनामा अनावेदक द्वारा तैयार कराया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1995 जे0एल0जे0 477 जमुनाबाई तथा अन्य विरूद्ध सुरेन्द्र कुमार तथा अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है कि बिल–वसीयतकर्ता के धर्म को नहीं मानने वाले व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की जा सकती है–वसीयतकर्ता की शक्ति पर ऐसा कोई अविरोध नहीं है कि वह उसके धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ही सम्पत्ति दे। वस्तुतः भूमिस्वामी को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह अपनी इच्छा से किसी को भी वसीययत कर सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वसीयतकर्ता अपनी ही जाति अथवा वर्ग के व्यक्ति को वसीयत करेगा। आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का दूसरा

मुख्य तर्क यह है कि वसीयत फर्जी तैयार की गयी है वसीयत निष्पादन का दूसरा मुख्य तर्क यह है कि वसीयत फर्जी तैयार की गयी है वसीयत निष्पादन के समय छल कपट का प्रयोग किया गया है। आवेदकगण के अभिभाषक के इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए प्रकरण में आवेदगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रकरण में इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है कि वसीयतकर्ता सही मानसिक दशा में नहीं था। आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का तीसरा मुख्य तर्क यह है कि अपर आयुक्त द्वारा वसीयतकनामा को बिना प्रमाणित कराये हुये ही नामांतरण स्वीकार किया गया है। इस संबंध में नवनीतलाल बनाम गोकुल 1976(1) सू0को0 630 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वसीयतकर्ता के आशय को बिल की सारवान अंतवस्तु से उन परिस्थितियों से जिनमें वसीयतकर्ता अपना जीवनयापन करना था, उसी सम्पत्ति, उसका झुगाव, इच्छाएं, वाक्षाएं, व्यवहार से ज्ञात किया जाना चाहिये। इन संब पहलुओं पर अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा गहन विचार विमर्श करने के बाद ही निष्कर्ष निकाल कर वसीयतनामे के आधार पर अनोदक के पक्ष में नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया गया है। ऐसे विधिसम्मत आदेश में हस्तक्षेप करने के लिये कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–2016 विधिसम्मत एवं न्यायिक सिद्धांतों के अनुकम में होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

(ऐम0क0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर